

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/1826

दिनांक : 29-04-2015


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13 मार्च, 2015 के पद क्रमांक (24) के निर्णयानुसार लार्ड कॉलेज ऑफ स्टडीज, मकोडा, ग्वालियर को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. द्वितीय वर्ष (आ.पा., राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास), बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष (आ.पा., रसायन, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र,) अति. वि. भौतिक एवं गणित, बी.एस-सी. प्रथम वर्ष अति. वि. कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय में स्थापित व्यवस्थाए अत्यंत ही असंतोषजनक है एवं परिनियम 27,28 का पालन भी नहीं किया जा रहा है। शिक्षक व गैरशिक्षक कर्मचारी, कीडा प्रांगण, पुस्तकालय आदि का नियोजन नहीं किया जा रहा है। समिति अस्थाई सम्बद्धता का नियोजन इस शर्त पर करती है कि 90 दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं का निराकरण किया जाये। इस हेतु महाविद्यालय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे। 90 दिवस पश्चात भी ये अनियमितताए रहती है तो सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, लार्ड कॉलेज ऑफ स्टडीज, मकोडा, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्